बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

पत्रांक 3545 संचिका संख्या-म./यो.बैटक-04/06 13/7/07

संकल्प

विषय : राज्य में मछली पालन को कृषि का दर्जा दिए जाने के सम्बन्ध में ।

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है । कृषि आधारित प्रक्षेत्र में पशुपालन एवं मत्स्य पालन एक महत्वपूर्ण एवं पूरक क्षेत्र है, जिसके विकास से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है । मत्स्य पालन के लिए बिहार राज्य में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन उपलब्ध है । प्राकृतिक जल संसाधनों में अभी परंपरागत ढंग से मछली पालन किया जा रहा है । इसके सुदृढ़ीकरण एवं वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित खेती से यह क्षेत्र राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सकता है । राष्ट्रीय किसान आयोग की अनुशंसा में कृषक की परिभाषा को विस्तारित करते हुए मत्स्य पालकों को भी कृषक समूह में शामिल करने की अनुशंसा की गई है ।

2. मत्स्य पालन के क्षेत्र में ज्यादा पूंजी निवेश होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी एवं राज्य में मछली के उत्पादन में बढ़ोत्तरी होगी । इससे मछली आपूर्ति हेतु अन्य राज्यों पर निर्भरता में कमी एवं कालान्तर में निर्भरता समाप्त होगी ।

3. मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिए जाने से मत्स्य पालकों को कृषि दर पर बिजली, मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड, बीमा सुरक्षा, बैंक से निश्चित दर पर ऋण की सुविधा, आयकर में नियमानुसार रियायत दिए जाने की अपेक्षा की जाती है । मछली पालन हेतु भी कृषि सिंचाई दर पर ही पानी उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा है ।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मछली पालन को कृषि का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है ।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में किया जाए ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

13/7/07

प्रधान सचिव
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
बिहार सरकार

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

पत्रांक- 2548 संचिका सं0-म0/यो0बै0क-04/06- 13/7/07

संकल्प

विषय: राज्य में मछली पालन को कृषि का दर्जा दिए जाने के संबंध में।

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। कृषि आधारित प्रदेश में पशुपालन एवं मत्स्य पालन एक महत्वपूर्ण एवं पूरक क्षेत्र है, जिसके विकास से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है। मत्स्य पालन के लिए बिहार राज्य में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन उपलब्ध है। प्राकृतिक जल संसाधनों में अभी परंपरागत ढंग से मछली पालन किया जा रहा है। इसके सुदृढ़ीकरण एवं वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होने से यह क्षेत्र राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सकता है। राष्ट्रीय किसान आयोग की अनुशंसा में कृषक की परिभाषा को विस्तारित करते हुए मत्स्य पालकों को भी कृषक समूह में शामिल करने की अनुशंसा की गई है।

2. मत्स्य पालन के क्षेत्र में ज्यादा पूंजी निवेश होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी एवं राज्य में मछली के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। इससे मछली आपूर्ति हेतु अन्य राज्यों पर निर्भरता में कमी एवं कालान्तर में निर्भरता समाप्त होगी।

3. मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिए जाने से मत्स्य पालकों को कृषि दर पर बिजली, मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड, बीमा सुरक्षा, बैंक से निश्चित दर पर ऋण की सुविधा, आयकर से नियमानुसार रियायत दिए जाने की अपेक्षा की जाती है। मछली पालन हेतु भी कृषि सिंचाई दर पर ही पानी उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत मछली पालन को कृषि का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

13/7/07

(अनिल कुमार)

प्रधान सचिव

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

ज्ञापांक म0/यो0क्षे0क0-04/06-2548 मत्स्य/पटना, दिनांक 13 जुलाई 07

प्रतिलिपि अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 500 मुद्रित प्रतियां पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को उपलब्ध करायी जाऍं।

ह0/-
(अनिल कुमार)
प्रधान सचिव
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

ज्ञापांक 2548 मत्स्य/पटना, दिनांक 13 जुलाई 07

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
(अनिल कुमार)
प्रधान सचिव
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

ज्ञापांक 2548 मत्स्य/पटना, दिनांक 13 जुलाई 07

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार, पटना/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
(अनिल कुमार)
प्रधान सचिव
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

ज्ञापांक 2548 मत्स्य/पटना, दिनांक 13 जुलाई 07

प्रतिलिपि संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी), भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली/कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्व विद्यालय, पूसा/निदेशक, मत्स्य सभी राज्य एवं सभी केन्द्र शासित प्रदेश/निदेशक केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, वरसोवा, मुंबई/निदेशक, सी0आई0एफ0ए0, कौशल्यागंगा, भुवनेश्वर/निदेशक, सी0आई0एफ0आर0आई0, बैरकपुर/मत्स्य निदेशक, बिहार, पटना/क्षेत्रीय निदेशक, दीप नारायण सिंह सहकारिता प्रबंधन संस्थान, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
(अनिल कुमार)
प्रधान सचिव
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

9/13/7
क्र090030

ज्ञापांक 2518 मत्स्य/पटना, दिनांक 12 जुलाई 07

प्रतिलिपि माननीय उप मुख्य मंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी/माननीय मंत्रिगण, बिहार सरकार के आप्त सचिवों/माननीय राज्य मंत्रिगण (स्वतंत्र प्रभार) के आप्त सचिवों को सूचनार्थ एवं माननीय मंत्रिगण के अवलोकनार्थ प्रेषित।

13/7/07

(अनिल कुमार)

प्रधान सचिव

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

ज्ञापांक 2518 मत्स्य/पटना, दिनांक 12 जुलाई 07

प्रतिलिपि अध्यक्ष, बिहार प्रान्तीय मत्स्य जीवी स्वावलंबी सहकारी परिसंघ लि0, प्रबंध समिति, प्रताप भवन, पूर्वी बोरिंग रोड, पटना/अध्यक्ष, बिहार राज्य मत्स्य जीवी सहकारी संघ, [illegible], पटना/क्षेत्रीय प्रधान, सभी व्यवसायिक बैंक एवं समन्वयक एस0एल0बी0सी0, भारतीय स्टेट बैंक, मेन ब्रांच, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

13/7/07

(आर0एन0चौधरी)

मत्स्य निदेशक, बिहार, पटना

ज्ञापांक 2518 मत्स्य/पटना, दिनांक 13 जुलाई 07

प्रतिलिपि [illegible] मत्स्य [illegible], पटना/सभी क्षेत्रीय उप मत्स्य निदेशक/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/मत्स्य निदेशालय के सभी [illegible] एवं सभी अनुसचिवीय कर्मचारी को सूचनार्थ प्रेषित।

13/7/07

(आर0एन0चौधरी)

मत्स्य निदेशक, बिहार, पटना